

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली सरकार
(प्रशासन शाखा)

क्रमांक सं./जी.ए/1076/27/प्रशासन/मि./2020/डी-13

दिनांक 08.01.2025

अग्रसारित

निम्नलिखित पत्रों की प्रति सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रणीत की जाती है:-

क्र.स.	विभाग का नाम	परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02.	फा.सं. 08(06)/2019- 20/क्र.स. एवं भाषा/1661-1711 दिनांक 30.11.2024	राजभाषा नियमावली 1976, दिल्ली राजभाषा 2003 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध।
2.	--- उपरोक्त---	फा.सं. 08(01)/2022/ क्र.स. एवं भाषा/1907- 1908 दिनांक 18.12.2024	सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद के संबंध में।

संलग्न:- उपरोक्त अनुसार

उप. निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित:-

1. निजी सचिव(सीईओ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
2. निजी सचिव/ सदस्य (प्रशा./इंजी./वित्त) सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
3. सभी एस.ई./ई.ई./समन्वयक।
4. सभी निदेशक/उप. निदेशक।
5. बी एंड एफओ/डिप्टी सीए-1 और II.
6. सक्षम प्राधिकारी, तीस हजारी न्यायालय।
7. उप. निदेशक (आईटी/सिस्टम) - डीयूएसआईबी वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करें। — on election &
8. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

Programmer

9/1/25

Diary No. 9-641

Date 04/11/2024
O/o the C.E.O. (DUSIB)
N.C.T. of Delhi

सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

दिनांक: 30/11/2024

By Dir. (Admin.) DUSIB

No

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय / महोदया,

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 एवं दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निर्देशों के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से बार-बार पत्र प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उन पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं० 7 (9)/97-भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में अपेक्षित प्रतिशत कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है। जो विभागों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण हैं और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते हैं। यह विभाग हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों से टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियों, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्घरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :-

नियम 5 के अनुसार, नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :- 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

- (2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
- (3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय

આથીય મિશા

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क०सं० एवं भाषा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोक रोड, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ ।
8. उपायुक्त, यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु ।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

R-3529/Pr. Dir. (A) 1/24

20/12/24

Diary No. R-2615

Date 20/12/2024
O/o the C.E.O. (DUSIE)
G.N.C.T. of Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सांतवा तल,
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-02

फा0सं0 8(01)/2022/क0सं0 एवं भाषा/ 1907-1908

दिनांक: 18/12/2024

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में
महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भेजे गए पत्र सं0 11024/01/2024-हिंदी दिनांक 27.11.2024 के संबंध में देखने का संबंध कष्ट करें। इस पत्र के साथ संलग्न कार्यालय ज्ञापन के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों, उपक्रमों आदि में खरीद हेतु निर्धारित कुल अनुदान राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार के उक्त दिशानिर्देशों का अपने कार्यालय में अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

विवेक अग्रवाल
18/12

(विवेक अग्रवाल)

अपर सचिव (कला संस्कृति एवं भाषा)

फा0सं0 8(01)/2022/क0सं0 एवं भाषा/ 1909

दिनांक: 18/12/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. निदेशक(राजभाषा), गृह मंत्रालय भारत सरकार, एनडीसीसी-II भवन, आठवां तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

(विवेक अग्रवाल)

अपर सचिव (कला संस्कृति एवं भाषा)

AD(Admin)

Sh. Reghuv

20/12



सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय

भारत सरकार

एन.डी.सी.सी. II बिल्डिंग

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

GOVERNMENT OF INDIA

NDCC-II BUILDING,

JAI SINGH ROAD, NEW DELHI - 110001

Delhi Sachivalaya
GAD/R&I Branch
Govt. of NCT of Delhi

28 NOV 2024

GAD/2024/52842

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY
GOVT. OF NCT OF DELHI

28 NOV 2024

DY. No.

दिनांक: 27 नवंबर, 2024

सेवा में
Secretary No.

गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख।
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर, राजभाषा विभाग के दिनांक 19 नवंबर, 2024 के पत्र सं. 11011/12/2024-रा.भा.(अनु.) के संदर्भ में, दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों, उपक्रमों आदि में पुस्तकालयों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस संबंध में, राजभाषा विभाग के उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने सभी कार्यालय में अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

(Signature)

(नानक चंद)

उप निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23438299

ई-मेल: dir.ol@mha.gov.in

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग) चतुर्थ तल, एनडीडीसी-II भवन, नई दिल्ली।
2. उप सचिव (समन्वय-II) प्रथम तल, एनडीडीसी-II भवन, नई दिल्ली।

(Signature)
28/11/24
SS (Acc)
Secy - Hindi

(Signature)
Sec (Hindi)

(Signature)
28/11/24
50 (Acc)
आचार्य
02/12/24

2/11/24
my (Acc)

(Signature)
28/11/24
2027/2024